



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



कोटेशन हेतु सूचना

कोरोना वायरस (novel Corona virus) के प्रादुर्भाव की रोकथाम हेतु आपात एवं आकस्मिकता की स्थिति में N-95 mask एवं Infrared Thermometer का क्रय करने हेतु निर्बंधित थोक विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन के साथ आपूर्तिकर्ता संस्थान का अनुज्ञप्ति/अद्यतन नवीकरण/GST निर्बंधन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सीलबंद कोटेशन दिनांक 08.02.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा और दिनांक 10.02.2020 को अपराह्न 12:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में एजेन्सी के प्रतिनिधियों के समक्ष गठित समिति द्वारा खोला जायेगा। सीलबंद कोटेशन में उक्त चिकित्सकीय सामग्री/सामग्री का दर प्रति इकाई (GST रहित) अंकित किया जाय। GST की राशि अलग स्तंभ में अंकित की जाय।

(Sh.
खालिद अरशद)
प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञापांक...8240.....

पटना, दिनांक 07/02/2020

प्रतिलिपि :

- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL को कृपया सूचनार्थ।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं संबंधित एजेन्सीयों के बीच परिचारित करने हेतु प्रेषित।
- जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर परिचालनार्थ प्रेषित।
- क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमण्डल/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर परिचालनार्थ प्रेषित।
- सहायक औषधि नियंत्रक, पटना एवं ग्रामीण (पटना)/सभी औषधि निरीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर परिचालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित एजेन्सीयों के बीच स्वयं के स्तर से परिचारित किया जाय।
- अध्यक्ष/सचिव, बिहार केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रशासी पदाधिकारी कोषांग को सूचनार्थ एवं निदेश है कि सूचना को मुख्य सूचना पट्ट पर चर्चा कराया जाय।

(Sh.
प्रशासी पदाधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार